

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(7476)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18 /01/08/2018

जयपुर, दिनांक 12/06/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर राज्य सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित अधिकारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क.स.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	श्री दीपक कुमार, ए.सी.पी. (उप निदेशक)	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	• RPSC द्वारा आयोजित RAS Pre Exam-2018
2	श्री विजय कुमार दलाल, ए.सी.पी. (उप निदेशक)	हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	• RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/ Superintendent I.T.I. 2018 • RPSC द्वारा आयोजित Group Instructor/Surveyor/Assistant Apprenticeship Adv. Gr.II 2018 • RPSC द्वारा आयोजित ACF And Forest Range Officer Gr-I 2018 • BOAT NR द्वारा आयोजित Deputy Director of training 2017 • Uttar pradesh Public Service Commssion द्वारा आयोजित Assistant Teacher 2018 • CBSE द्वारा आयोजित UGC NET 2018
3	श्री रोहित जैन, प्रोग्रामर	राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर	• RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/ Superintendent I.T.I. 2018
4	श्री प्रदीप यादव, प्रोग्रामर	राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर	• RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/ Superintendent I.T.I. 2018
5	श्री पुनित कुमार जैन, प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट-कम- प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-मालपुरा, जिला-टोंक	• RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/ Superintendent I.T.I. 2018

P.T.O.

(2)

क.स.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
6	श्री दीपक धाकड़, प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट-कम- प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा	• RPSC द्वारा आयोजित RAS Pre Exam-2018 • RPSC द्वारा आयोजित ACF And Forest Range Officer Gr-I 2018
7	श्री सोनू कुमार मीणा, प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट-कम- प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला-बारां	• RPSC द्वारा आयोजित ACF And Forest Range Officer Gr-I 2018 • RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/ Superintendert I.T.I. 2018
8	सुश्री गरिमा अग्रवाल, प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट-कम- प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-बहरोड, जिला-अलवर	• RPSC द्वारा आयोजित ACF And Forest Range Officer Gr-I 2018
9	श्री हितेश कुमार पूर्विया, प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट-कम- प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-खेरवाड़ा, जिला-उदयपुर	• RPSC द्वारा आयोजित RAS Pre Exam-2018 • RPSC द्वारा आयोजित ACF And Forest Range Officer Gr-I 2018 • RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/ Superintendert I.T.I. 2018
10	श्री नरेश कुमार, प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट-कम- प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-सोजत, जिला-पाली	• RPSC द्वारा आयोजित RAS Pre Exam-2018 • RPSC द्वारा आयोजित ACF And Forest Range Officer Gr-I 2018 • RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/ Superintendert I.T.I. 2018
11	श्री मनोज कुमार शर्मा, प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट-कम- प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-कठूमर, जिला-अलवर	• RPSC द्वारा आयोजित RAS Pre Exam-2018 • RPSC द्वारा आयोजित ACF And Forest Range Officer Gr-I 2018
12	सुश्री अनीता आहूजा, प्रोग्रामर	पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, जिला-भीलवाड़ा	• RPSC द्वारा आयोजित RAS Pre Exam-2018
13	श्री विष्णु कान्त जलेन्द्रा, प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट-कम- प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-लालसोट, जिला-दौसा	• RPSC द्वारा आयोजित RAS Pre Exam-2018 • RPSC द्वारा आयोजित ACF And Forest Range Officer Gr-I 2018 • RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/ Superintendert I.T.I. 2018
14	सुश्री नेहा, प्रोग्रामर	महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	• RPSC द्वारा आयोजित RAS Pre Exam-2018

P.T.O.

(3)

क.स.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
15	श्रीमती प्रियंका, प्रोग्रामर	विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर	• RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/ Superintendent I.T.I. 2018 • CBSE द्वारा आयोजित UGC NET 2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त अधिकारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(रामचन्द्रन शर्मा)
प्रभारी अधिकारी संस्थापन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

प्रभारी अधिकारी संस्थापन

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(3429)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14 /01096/2018 जयपुर, दिनांक 12-06/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री विपिन पारीक, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री विपिन पारीक, सूचना सहायक को RPSC, अजमेर द्वारा आयोजित RAS Pre and Mains 2018 एवं RSMSSB, जयपुर द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— sel —
(रामचरन शर्मा)
प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सहायक निदेशक, कार्यालय सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सीकर।
2. श्री विपिन पारीक, सूचना सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सीकर।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)